

16-9-04

17/9/04 Serial No. IV/2561/20

18/9/04
22-9-04

From:

G.K. Charurvedi, H.J.S.,
Registrar (Budget),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To:

The District Judge,
Muzaffarnagar

Request 90

No. Admn.(B-II)Section

Dated: September 2004.

Subject: Allotment of the amount of Rs.13,060/- of reimbursement of medical expenses so incurred by Sri Kali Charan-II, A.C.J.M., for his own treatment.

Sir,

With reference to your letter No.64/AC, dated 7.5.04 on the above subject, I am directed to say that the amount of Rs.13,060/- only of reimbursement of medical expenses so incurred by Sri Kali Charan-II, Additional Chief Judicial Magistrate, Muzaffarnagar was sanctioned by the Government through its G.O. No.1966 II-4-2004-53(18)/2003, dated 24.6.04. As such the Court has been pleased to allot you a total sum of Rs.13,060/- (Rupees thirteen thousand and sixty) only in the preliminary unit "49-Medical Expenses" or sub-head "07-District and Sessions Judge" under the account head "2014-Administration of Justice-Avojanettar-105-District and Sessions Judge", in the current financial year 2004-05 for making its payment to Sri Kali Charan-II.

3000
So. Admn. (B-II)

I am, therefore, to request you kindly to draw the aforesaid amount of Rs.13,060/- (Rupees thirteen thousand and sixty) only and make its payment to Sri Kali Charan-II, under intimation to the Court.

24
D.R. (M)
15-9-2004

Yours faithfully,

Registrar (Budget)

No. 4057 Admn.(B-II)Section

Dated: September 14, 2004.

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. The Treasury Office, Muzaffarnagar.
2. Special Secretary to Government of U.P., Appointment Section-4 Lucknow, with reference to G.O. dated 24.6.04.
3. Sri K.C. Srivastava, Deputy Registrar (M), High Court, Allahabad.
4. Sri Kali Charan-II, A.C.J.M., Muzaffarnagar.

Sansk T.
PT
So
23/9/04

By Order of the Court

Executed
13/09/04
Registrar (Budget)

D.R. (M)
for information only
May file?

As proposed
Srivastava
23/9/04

24-9-04
P. D. Pandey
24.09.04

To

The Joint Registrar (Budget)
High Court,

Allahabad

Request-90

118

No. 11349 / II-2561-Admin. (A-1) Dated 26.7.2004

Subject: - Regarding sanction of reimbursement claim of medical expenses amounting to Rs. 13060/- to Sri Kali Charan-II, Addl. Chief Judicial Magistrate, Muzaffernagar.

Sir,

I am directed to send herewith a copy of G.O. ~~letter~~ No. 1966/II-4-2004-53(10)/2003 dated 24-6-2004, on the above subject, and to request you kindly to take necessary action, at an early date, in this matter.

Yours faithfully

Zorwarava

Deputy Registrar

Encl:-

As above

D.RCM

May issue

Atampathi

22-7-04

R. Lundy

22.7.04
S.O. Ad A

Issued
Zorwarava
23/7/04

RP1418

30/6/04

प्रेषक,

1607

12-7-04

मोहन सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला जज,
मुजफ्फर नगर।

Reg. No. 487
No. IV/256/
Serial 116
रजिस्टर्ड
संख्या-9E6E/दो-8-2008-53(9C)/2003
12/7/04

8
20-7-04

Request-90

लखनऊ: दिनांक: 24 जून, 2008

नियुक्ति अनुभाग-8

विषय:- चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कठने का निदेश हुआ है कि उ० प्र० सरकारी कर्मचारी (चिकित्सा परिवारी) नियमावली, 9E6E यथासंशोधित नियमावली 9E6E के अनुक्रम में चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या- 9935/पौच-6-2009-2E6E/6E6 दिनांक 29.6.2009 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय श्री काली चरन-2 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फर नगर को प्रदेश के अन्दर शील हास्पिटल बरेली में दिनांक-99.3.2003 से 09.08.2003 तक करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय रुपये 93060/- (रुपये तेरह हजार साठ मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की स्वीकृति, जो शासनादेश संख्या-5957/दो-8-2003-53(9C)/2003 दिनांक 39.3.2004 द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-2004 में के लिए स्वीकृत की गयी थी, किन्तु वित्तीय वर्ष 2003-2004 में बजट आवंटित न होने के कारण भुगतान सम्भव नहीं हो सका, का वर्ष 2004-2005 में भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करते हैं। शासनादेश संख्या-5957/दो-8-2003-53(9C)/2003 दिनांक 39.3.2004 एतद्वारा निरस्त समझा जाए।

2- उक्त स्वीकृति के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उनके द्वारा इससे पूर्व कोई चिकित्सा अग्रिम तो प्राप्त नहीं किया गया है, यदि प्राप्त किया गया हो तो उक्त अग्रिम का समायोजन करके भुगतान किया जाये।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-82 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2098-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-905-सिविल और सेशन न्यायालय-03-जिला एवं सेशन न्यायाधीश-8E-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त चिकित्सा दावे से सम्बन्धित बिल/वाउचर्स मूलरूप में संग्रहण है।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(मोहन सिंह चौहान)
विशेष सचिव

S.O. John 21/A

D. R. (M) संख्या-9E6E(9)/दो-8-2008, तदुदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, उ० प्र० इलाहाबाद।
- (2) महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (3) कोषाधिकारी, मुजफ्फर नगर/बरेली।
- (4) संयुक्त निदेशक, कोषागार, कच्चेहरी रोड, इलाहाबाद।
- (5) श्री काली चरन-2, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फर नगर।

(52)

D.R. (M)
Dad02

07 JUL 2004

आज्ञा से,
24/7/04
(यतीन्द्र मोहन)
अनु सचिव

SCT
24/7/04

21-5-04

सेवा में,

जो: के: एडवोकेट,
निबन्धांक [H/A],
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

21/5/04

Register	...
File No.	IV/2561
Serial	115

7933

21/5/04

21/5/04

26-5-04

सेवा में,

विशेष तीर्थ, उत्तर प्रदेश शासन, निरीक्षित अनुभाग-4, लखनऊ।

Request-90

संख्या: / प्रशासकीय / संख्या-11 / अनुभाग, दिनांक: , 2004
विषय:- विधिकता पर हुए व्यय को प्रति प्रति के तदनुषंग में।

साहब,

उपरोक्त विषयक औद्योगिकारों बरेलो, को तदनुषंगत एवं

21/5
S.O. Admin. H/A

निबन्धांक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, को प्रशासकीय शासनादेश संख्या:

5156/11-4-2003-93 [18]/03, दिनांक: 31-3-2004, के तदनुषंग में, मुझे यह

कहने का निदेश प्राप्त है कि उक्त शासनादेश द्वारा जो उक्त पर्यट, अथवा उक्त

न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुकदमा नंबर द्वारा विधे भये विधिकता व्यय को प्रति प्रति के

रकम 13,860/- (संयुक्त तेरह हजार सात मात्र) को स्विकृत विधिकता व्यय

2503-2124 के तदनुषंग के अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत लेखा प्रविष्टि "41-4-42

प्रशासन-प्रयोजन-165-दोषादी एवं तदनुषंग न्यायालय-03 विभा एवं तदनुषंग न्यायालय

-49-विधिकता व्यय" में प्राप्त हुई धन, लेखा मानक मद "49-विधिकता व्यय" में

धनराशि उपलब्ध न होने के कारण, उक्त स्विकृत धनराशि रकम 13,860/-

का आंकड़न जनक न्यायाधीश, मुकदमा नंबर, को विधिकता व्यय 2503-2124

में नहीं उठा जा सके।

D.R. (M)
20-5-2004

D.R. CH
For information
only
may file?

File 04-6-04
S.K.T.
20 5 04
46/04
S.O. Admin.

अतः आपसे अनुरोध है कि श्री काली परमा, उपर हृद्य न्यायिक
 मजिस्ट्रेट, मुजफ्फर नगर, के विधिस्ता व्यव प्रीत पूर्व धनराशि रु 13168/-
 के भुगतान हेतु होने वाले व्यव को प्राप्त वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्यय
 के अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत हेता धारिका 2014-वाय प्रशासन-आलोचोत्तर-
 105-दोषाजी एवं तत्र न्यायालय-83-1का एवं तत्र न्यायाधीश-49 विधिस्ता व्यव
 के नामें हाते जाने वा पुनरीकृत हातनादेश प्राप्त कर, अंकित न्यायालय को
 प्रेषित करने वा कष्ट करें ताकि श्री काली परमा, उपर हृद्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 मुजफ्फर नगर के विधिस्ता व्यव को प्रीत पूर्व हेतु उक्त धनराशि का अर्पण
 किया जा सके ।

भाषण

श्री जी के गुप्ते

निदेशक (वित्त)

क्रमांक: 2703 / प्रशासकीय क्रमांक-118 अनुभाग, दिनांक: 19-5-2004

प्रतिनीप निम्नीलिात को सुनाई एवं उ कसक आरंवाही

हेतु प्रेषित :-

- 1- जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फर नगर, को उनके प. संख्या: 64/वा.सो:-
2004, दिनांक: 7-5-2004 के तन्दर्भ में ।
- 2- डोहानीवागरी, जेली ।
- 3- श्री काली परमा, उपर हृद्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फर नगर ।
- 4- उपरी न्यायालय प्रेषणी यकत, उक्त न्यायालय, लखनऊ ।

न्यायालय को आडा ले

Successor's
18/05/04

श्री जी के गुप्ते

निदेशक (वित्त)

02

To

The Joint Registrar (Budget)
High Court,
Allahabad

Request-90

113

No. 6855 /TV-2561-Admn. (A-1) Dated 10-5-04

Subject:- Regarding reimbursement of medical expense amounting to Rs. 13060/= to Sri Kali Charan-II, Addl. Chief Judicial Magistrate Muzaffernagar.

Sir,

I am directed to send herewith a copy of G.O. No. 5190/II-4-2003-53 (107)/03 dated 31-3-2004 on the above subject, for your information and necessary action.

Yours faithfully
K. Wadhwa

Deputy Registrar

incl:-
As above

114

No. 6856 /TV-2561-Admn. (A-1) Dated 10-5-04

copy forwarded to the District Judge, Muzaffernagar, for information with the remark that ~~in~~ regarding allocation of budget for the aforesaid medical reimbursement claim ~~the~~ of Sri Kali Charan-II, Addl. Chief Judicial Magistrate, Muzaffernagar

P.T.O.

D.R.C.M.

May issue?

Wairpathi

29-4-04
A. K. S. S. S.
29.4.04
S. S. S. S.

Pradeep K. S. S.
20/04/04

9 Bue
2 C. Wadhwa
11/05/04

correspondence should be made
to the Joint Registrar (Budget)
High Court, Allahabad.

Srivastava
Deputy Registrar

3
13-4-04

9/4/04
456

13/4

16/4/04

23/1
F
File No. IV/256/1
Serial 112
51581 पंजीकृत

15/4/04

संख्या-५१६८/दो-४-२००३-५३(१८)/०३

प्रेषक,

मोहन सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

28-4-04

सेवा में,

कोषाधिकारी,
बरेली।

Request-90

नियुक्ति अनुभाग-४

लखनऊ दिनांक: 31 मार्च, 2004

विषय:-

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 30 प्र० सस्कारी कर्मचारी चिकित्सा परिषदा नियमावली, 1986 यथासंशोधित 1986 के अनुक्रम में चिकित्सा विभाग के शासनदेश संख्या-9935/पॉच-६-२००१-२६४/६६ दिनांक २७.६.२००१ में निहित प्रावधानों केअधीन श्री राज्यपाल महोदय श्री काली घरन-२ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर को प्रदेश के अन्दर शील हॉस्पिटल बरेली में दिनांक ११.३.२००३ से ०१.४.२००३ तक करायी गयी चिकित्सा पर हुये व्यय रु०- १३०६०/- (रुपया तेरह हजार साठ मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त चिकित्सा दावे से सम्बन्धित बिल/वाउचर्स मूलरूप में संलग्न है।

२- उक्त स्वीकृति के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उनके द्वारा इससे पूर्व कोई चिकित्सा अग्रिम तो प्राप्त नहीं किया गया है यदि प्राप्त किया गया हो तो उक्त अग्रिम का समायोजन करके भुगतान किया जाये।

३- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष २००३-२००४ के अग्र व्ययक के अनुदान संख्या-४२ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "२०१४-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-१०५-सिविल और सेशन्स न्यायालय-०३-जिला एवं सेशन्स न्यायाधीश- ४६- चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

संलग्न:- यथोपरि (मूलरूप में)

भवदीय,

(मोहन सिंह चौहान)
विशेष सचिव

S.O. Admin. 1/1/1

28
D.R.(M)
12-4-2004

(#) (24)
D.R.(M)
112 ADD 2004

संख्या-५१६८(१)/दो-४-२००३, तदुदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (१) महल्लेखाकर, 30 प्र० इलाहाबाद।
- (२) महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (३) जिला जज, बदायूं।
- (४) संयुक्त निदेशक कोषागार, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
- (५) श्री काली घरन-२, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूं।

3
35
(यतीन्द्र मोहन)
अनु सचिव
ML

84
28/4/04